षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री विनय बिहारी, स०वि०स०	राज्य के सभी मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों में रसोइयों को खाना बनाने हेतु 1500 (एक हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जिससे रसोइयों को जीवनयापन में परेशानी हो रही है एवं उनके कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी 268 रूपये प्रतिदिन तय किया है जबकि रसोइयों को मजदूरी प्रतिदिन लगभग 45 रूपये ही मिलता है जो कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है । अतएव सरकार के तय मानक के अनुरूप कम-से-कम न्यूनतम मजदूरी सभी रसोइयों को उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	शिक्षा

1	2	3	4
2.	श्री राजेश कुमार, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० श्री शकील अहमद खॉं, स०वि०स० श्री विजय प्रकाश, स०वि०स० श्री फराज फातमी, स०वि०स० सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, स०वि०स० श्री सुदर्शन कुमार, स०वि०स० श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०	राज्य के सभी जिलों में लगभग 114000 वार्ड सचिव पिछले 2-3 वर्षों से चलाई जा रही सात निश्चय योजना के तहत गली-नली एवं हर घर नल का जल योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें आज तक कोई भी मानदेय भत्ता के रूप में राशि नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बिहार राज्य के वार्ड सचिव आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं । अतः बिहार राज्य के वार्ड सचिवों को मानदेय या भत्ता के रूप में राशि दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पंचायती राज

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/20- 720 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04, मार्च, 2020 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/20- 720 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04, मार्च, 2020 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

4/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
4/3/20